**केंद्रीय विद्यालय .......................**

**सामान्य भविष्य निधि/अंशदायी भविष्य निधि से निकासी के लिए आवेदन हेतु प्रपत्र**

**Proforma for application for withdrawal from General Provident Fund/Contributory Provident Fund**

1. कार्मिक का नाम/

Name of the subscriber

1. खाता सं.(विभागीय प्रत्यय के साथ)/

Account Number(with Departmental suffix)

1. (क) पदनाम/ (Designation)

(ख) अनुभाग/शाखा (Section/Branch)

1. मूल वेतन + पे लेवल/

Basic Pay+ Pay Level

1. सेवा में कार्यग्रहण करने की तिथि/

Date of joining service

1. सेवा निवृत्ति की तिथि/

Date of superannuation

1. आवेदन की तिथि पर कार्मिक का जमाखाते शेष/बकाया रोकड़/

Balance at credit of the subscriber on the date of application

1. (क)निकासी के लिए आवश्यक राशि/

Amount required as withdrawal

(ख) क्या आवेदन नियम 15(1)(C) के अनुसार बनाया

गया है अर्थात् सेवा-निवृत्ति के एक वर्ष पूर्व

Is the application made under rule 15(1)(C),

that is,one year before the date of superannuation

(ग)अगर नहीं,तो निकासी का उद्देश्य

If no,state purpose for which the withdrawal

is required.

1. क्या समान उद्देश्य से पहले निकासी किया गया था|

अगर हाँ, तो राशि और वर्ष सूचित कीजिए/

Whether any withdrawal was taken for the same

purpose earlier. If so,indicate the amount and the year.

आवेदक का हस्ताक्षर

भाग-II

(प्रधान कार्यालय/Head Office द्वारा भरा जाए)

1. आवेदन की तिथि में कार्मिक के जमाखाते शेष का विवरण :

Balance at credit of the subscriber on the date of application is given below:

1. वार्षिक विवरण के अनुसार अंतिम रोकड़:

Closing balance as per statement for the year :

1. मासिक शुल्क के तहत ................से.................तक जमा धन

Credit from ..................to ...................on account of monthly subsciption

1. प्रतिदाय /Refunds :
2. अग्रिम बकाया राशि :

Amount of Advance outstanding

1. .................से................अवधि के दौरान निकासी :

Withdrawls during the period from ..............to................

1. जमाखाते निवल शेष राशि :

Net balance at credit

1. जिस उद्देश्य से अग्रिम लिया गया था

Purpose for which advance was taken

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि निकासी किए जाने वाली राशि आवेदक के........................ खाते में छह महीने के वेतन से अथवा उनके सामान्य भविष्य निधि के क्रेडिट/सब्सक्रिप्शन की आधी राशि से अधिक है/अधिक नहीं है,जो भी हो आवेदक के निधि खाते में क्रेडिट/सब्सक्रिप्शन की राशि के कम अथवा तीन-चौथाई होनी चाहिए|

It is certified that the amount of withdrawal exceeds/does not exceed six months pay of the applicant or half the amount at his/her credit/subsciption in the ............................. Fund Account, whichever is less/three-fourths of the amount of the credit/subscription of the applicant in the Fund Account.

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक सेवानिवृत्त होने के अंतिम दस साल के भीतर हैं / सरकारी सेवा में ...................को .............. वर्ष की पूर्ती कर ली है|

It is certified that the applicant is within 10 years of his retirement on superannuation/has completed ...............years of his Government service on ....................

1. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक द्वारा समस्त सरकारी क्षेत्र से निकासित की गई कुल राशि, भविष्य निधि से निकासित रकम सहित, समस्त सरकारी स्रोतों से घर निर्माण के उद्देश्य से ली गई समस्त राशि कार्य और आवास मंत्रालय की योजना के समय-समय पर लागु घर-निर्माण उद्देश्य के लिए अग्रिम देने हेतु नियम 2(a) और 3(b) के अनुसार अधिक नही है|

It is also certified that the total amount drawn, including the withdrawal from the Provident Fund, from all Government sources by the applicant for house building purposes does not exceed the maximum limit prescribed from time to time under rules 2(a) and 3(b) of the Scheme of the Ministry of Works and Housing for grant of advances for house building purposes.

टिप्पणी: अप्रासंगिक बिन्दुओं को काट दें|

(हस्ताक्षर)

नाम एवं मोहर

आहरण एवं संवितरण अधिकारी(प्राचार्य)

भाग-III

(प्रशासनिक विभाग द्वारा भरा जाएं)

टिप्पणी/सिफ़ारिश/भविष्य निधि से निकासी के लिए आवेदन पर आदेश जारी करना|

Comments/recommendations/orders on the application for withdrawal from Provident Fund.

(हस्ताक्षर)